

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 46/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/128

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. अशोक कुमार पुत्र तेजाराम
2. वालाराम पुत्र तेजाराम
3. वदामी पत्नी तेजाराम
4. जोगाराम पुत्र भीखाराम
5. मोहनी पत्नी भीखाराम
6. दौलाराम पुत्र बाबुराम
7. बुधाराम पुत्र बाबुराम
8. सुमेराराम पुत्र बाबुराम
9. वरजुदेवी पत्नी बाबुराम
जाति नाई निवासी कल्याणपुर
10. बाबुलाल पुत्र खरथाराम
जाति जाट निवासी कल्याणपुर,
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा

1. अशोक कुमार पुत्र ठाकराराम
2. हेमाराम पुत्र ठाकराराम
3. नारयणी पत्नी ठाकराराम
4. उत्तम पुत्र मांगीलाल
5. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल
6. पुखराज पुत्र मांगीलाल
7. पारस सुथार पुत्र मांगीलाल
8. हरीश पुत्र मांगीलाल
9. शंकर सुथार पुत्र मांगीलाल नाबालिग
जरिए कुदरती वली माता पुष्पा पत्नी
मांगीलाल
10. पुष्पा पत्नी मांगीलाल
11. कानाराम पुत्र केसाराम
12. छगनलाल पुत्र केसाराम
13. ढलाराम पुत्र केसाराम
14. दाखू पत्नी केसाराम
15. भंवरलाल पुत्र जीताराम
16. रामदेवी पत्नी जीताराम
जाति सुथार निवासी कल्याणपुर
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
17. राजस्थान सरकार तहसीलदार
कल्याणपुर



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी एकतरफा।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक- 29/01/2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुरांगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 106 क्षेत्रफल 3.9983 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.7284, खसरा संख्या 719/123 क्षेत्रफल 18.1299 हैक्टेयर व खसरा संख्या 721/123 क्षेत्रफल 1.6997 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 31.8.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय पक्षकारान द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 106 क्षेत्रफल 3.9983 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.7284, खसरा संख्या 719/123 क्षेत्रफल 18.1299 हैक्टेयर व खसरा संख्या 721/123 क्षेत्रफल 1.6997 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	अशोक कुमार पुत्र ठाकराराम हि. 1/12 हेमाराम पुत्र ठाकराराम हि. 1/12 नारायणी पत्नि ठाकराराम 1/12 कानाराम पुत्र केसाराम हि. 1/16 डलाराम पुत्र केसाराम हि. 1/16 छगनलाल पुत्र केसाराम हि. 1/16 दाखू पत्नि केसाराम हि. 1/16 भंवरलाल पुत्र जीताराम हि. 1/8 रामूदेवी पत्नि जीताराम हि. 1/8 उत्तम पुत्र मांगीलाल हि. 1/28 पुखराज पुत्र मांगीलाल हि. 1/28 पुष्पा पत्नि मांगीलाल हि. 1/28 पारस सुथार पुत्र मांगीलाल हि. 1/28 हरीश पुत्र मांगीलाल हि. 1/28 नाबालिग शंकर सुथार पुत्र मांगीलाल संरक्षक सरपरस्त पुष्पा हि. 1/28 जातियान सुथार सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	106 131 719/123 721/123	1.9991 0.3642 9.0649 0.8499	बा.अ. बा.अ. बा.अ. बा.अ.	3.08 0.56 13.96 1.31	नक्शे में दर्शितानुसार



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2	अशोक कुमार पुत्र तेजाराम हि. 1/9 वदामीदेवी पत्नि तेजाराम हि. 1/9 बालाराम पुत्र तेजाराम हि. 1/9 जोगाराम पुत्र भीखाराम हि. 1/24 मोहनी देवी पत्नि भीखाराम हि. 1/24 दोलाराम पुत्र बाबुराम हि. 1/12 बुधाराम पुत्र बाबुराम हि. 1/12 वरजुदेवी पत्नि बाबुराम हि. 1/12 सुमेरराम पुत्र बाबुराम हि. 1/12 जातियान नाई सा. देह खातेदार बाबुलाल पुत्र खरताराम हि 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार	कल्याणपुर	106	1.9992	बा.अ.	3.08	नम्बरो में दर्शितानुसार
	131	0.3642	बा.अ.	0.56			
	719/123	9.0650	बा.अ.	13.96			
	721/123	0.8498	बा.अ.	1.31			

तहसीलदार, कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण
भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में
विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।
निजी खर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 29/7/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

(Signature)
(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(Signature)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 46/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/128
वादीगण बनाम प्रतिवादी

1. अशोक कुमार पुत्र तेजाराम
2. बालाराम पुत्र तेजाराम
3. वदामी पत्नी तेजाराम
4. जोगाराम पुत्र भीखाराम
5. मोहनी पत्नी भीखाराम
6. दौलाराम पुत्र बाबुराम
7. बुधाराम पुत्र बाबुराम
8. सुमेराराम पुत्र बाबुराम
9. वरजुदेवी पत्नी बाबुराम
जाति नाई निवासी कल्याणपुर
10. बाबुलाल पुत्र खरथाराम
जाति जाट निवासी कल्याणपुर,
तहसील कल्याणपुर, जिला बालोतरा

1. अशोक कुमार पुत्र ठाकराराम
2. हेमाराम पुत्र ठाकराराम
3. नारयणी पत्नी ठाकराराम
4. उत्तम पुत्र मांगीलाल
5. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल
6. पुखराज पुत्र मांगीलाल
7. पारस सुथार पुत्र मांगीलाल
8. हरीश पुत्र मांगीलाल
9. शंकर सुथार पुत्र मांगीलाल नाबालिग
जरिए कुदरती वली माता पुष्पा पत्नी
मांगीलाल
10. पुष्पा पत्नी मांगीलाल
11. कानाराम पुत्र केसाराम
12. छगनलाल पुत्र केसाराम
13. ढलाराम पुत्र केसाराम
14. दाखू पत्नी केसाराम
15. भंवरलाल पुत्र जीताराम
16. रामदेवी पत्नी जीताराम
जाति सुथार निवासी कल्याणपुर
तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
17. राजस्थान सरकार तहसीलदार
कल्याणपुर




राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 46/2023


निर्णय दिनांक :-29.7.2025

वादीगण की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 29.7.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 29.7.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 46/2023
अशोककुमार बनाम अशोककुमार वगैरा
निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 29.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	-----
6. कमिश्नर की फीस	-----	6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	-----	जोड़	-----




सहायक कलक्टर 29/07/2025
(एस.डी.ओ.) बालोतरा